

संपत्ति अकभार प्रमाण-पत्र
 उपलब्ध एवं नया रकड इंडेक्स-II के आधार पर 5176 20 19
 प्रमाण-पत्र संख्या 20 आवेदन सं०
 श्री Prem Kumar Mittal

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अकभारों का सचिवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये।
 (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अकभारों के बारे में बही में
 और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 06 से ता० till dated
 तक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अकभारों का पता धला
 खला है अतः अकभार सही

क्र०सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza — P.S — Thana No.— Khata No.— Survey Plot No.— Tauzi No.— Plot Area —	Lohanipur Kankarbagh 06 44 218 156 9145.92	Sq.ft.					

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

2. बंधक-पत्र की दिशा व्यापक की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बर्तन की उनको बारे में उल्लेख हो।

3. पट्टे की दिशा में पट्टे को अवधि और वारिडक लगान दर्ज करें।

मे यह प्रमाणित करता हूँ कि उपयुक्त संव्यवहारों और अवधारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर): *M. Hussain*

(पदनाम):

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :

(हस्ताक्षर): *P. K. Puri*

(पदनाम):

कार्यालय: Patna

तारीख:



टिप्पणी :- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुत संपत्ति के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से निम्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति (बाहियों) और अनुक्रमाणियों (इन्डेन्स) की प्रवृत्तियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिनिधि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियाँ और अनुक्रमाणियों उनके पास सामने रखदी जायेगी।

~~निरूपित~~ चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूंकि उसके बाद दूँडे गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दूँडे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की धूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, अवर निबंधक:

जाप संख्या:

5350

दिनांक:

2010 8 19

आवेदक श्री

Prem Kumar Mittal

का रूपभार प्रमाण-पत्र द्वारा

Manager, ICICI Bank Ltd., S.K. Puri -
Boeing Road, Patna

का उनके पत्र संख्या

दिनांक 01/08/2019 के प्रसंग में अप्रसारित की जाती है।

ICICI/PTN/HL/2019-20/NEC

निबंधन पदाधिकारी,

Patna

2010 8 19